संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश
पर्यावरण परिसर ई–5 अरेरा कालोनी भोपाल

क्रमांक / 5142 / स्था / नग्रानि / 2020 भोपाल, दिनांक 1-12-2020

//कार्यालयीन आदेश//

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ–11/1/08/नियम/चार भोपाल, दिनांक 24.1.2008 एवं वित्त विभाग के सहपठित ज्ञाप दिनांक 1.4.2008, 4.8.2008, 24.9.08 एवं समसंख्यक ज्ञाप दि. 7.11.2009, 13.11.2009, 30.10.2010, समसंख्यक ज्ञाप दिनांक 30.9.2014 द्वारा समयमान वेतनमान दिये जाने हेतु एवं समय–समय पर जारी संशोधनों/स्पष्टीकरणों में निहित प्रावधानों के तहत श्रीमती पुष्पलता पटवर्धन, सहायक ग्रेड–1 को दिनांक 31.01.2018 को 30 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के फलस्वरूप तृतीय समयमान वेतनमान स्वीकृत करने हेतु प्रस्ताव दिनांक 26.11.2019 को संपन्न विभागीय पदोन्नति समिति के समक्ष रखा गया। श्रीमती पटवर्धन, सहायक ग्रेड–1 तत्समय निलंबित रहने एवं विभागीय जांच प्रचलित होने के कारण समिति द्वारा इनके समयमान वेतनमान स्वीकृति की अनुशंसा सील बंद लिफाफा रखी गई।

संचालनालय के आदेश क्रमांक 1175, दिनांक 27.02.2020 द्वारा श्रीमती पुष्पलता पटवर्धन, सहायक ग्रेड–1 के विरूद्ध आरोप सिद्ध नहीं पाए जाने के कारण संस्थित विभागीय जांच समाप्त की जाकर निलंबन अवधि को नियमानुसार कार्य अवधि मान्य किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ/सी–6–2 /94/3, दिनांक 30.06.1994 के पैरा 3(1) एवं सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक सी–6–3–2011 –3–एक, दिनांक 29.11.2012 के पेरा 2 में निहित प्रावधानुसार श्रीमती पुष्पलता पटवर्धन, सहायक ग्रेड–1 को देय समयमान वेतनमान की अनुशंसा सील बंद लिफाफा खोला जाकर, निम्नानुसार उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 5 में दर्शाये तिथि से कॉलम नं. 4 में दर्शाया गया तृतीय समयमान वेतनमान स्वीकृत किया जाता है:–

क्र.	कर्मचारी का नाम एवं पदनाम एवं पदस्थापना	वर्तमान वेतनमान	30 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर दिये जाने वाला समयमान वेतनमान	समयमान वेतनमान स्वीकृति दिनांक
1	2	3	4	5
1.	श्रीमती पुष्पलता पटवर्धन, सहायक ग्रेड–1 जिला कार्या रतलाम	5200–20200+2800 लेवल 7(28700–91300)	9300–34800+3200 लेवल 8 (32800–103600)	01.02.2018

समयमान वेतनमान का लाभ मिलने के पश्चात् नियमित वेतनमान में पदोन्नत होने पर वेतन का निर्धारण म.प्र.शासन सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ 1–1/1/वे.आ.प्र./99, भोपाल दिनांक 18.8.2005, वित्त विभाग के ज्ञाप क्र. एफ 11/1/08/नियम–4/दिनांक 24.01.2008 के बिन्दु क्र. 7 एवं मध्यप्रदेश वेतन पुनिरीक्षण नियम 2017 में निहित प्रावधान के अंतर्गत किया जावेगा।

इस समयमान वेतनमान स्वीकृति फलस्वरूप संबंधित कर्मचारी के पदनाम में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जावेगा।

समयमान वेतनमान में वेतन निर्धारण उपरांत भुगतान के पूर्व इसका अनुमोदन संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा से करा लिया जावे।

आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
म.प्र.भोपाल

पृ.क्रमांक / 5143 / स्था / नग्रानि / 2020 भोपाल,दिनांक 1–12–2020

प्रतिलिपि :–

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर।
2. उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय रतलाम की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय रतलाम।
4. स्थापना शाखा, संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश की ओर व्यक्तिगत नस्ती हेतु।
5. कक्ष प्रभारी आई.टी शाखा की ओर वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
6. श्रीमती पुष्पलता पटवर्धन, सहायक ग्रेड–1, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय रतलाम।

आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
म.प्र.भोपाल